



276



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक

/2017 जिला-बिदिशा

बिदिशा/भू-रा/2017/4357

- 1- जवाहर पुत्र श्री सुम्मा अहिरवार
- 2- श्रीमती द्रोपदी बाई पत्नी जवाहर
- 3- श्रीमती लीलाबाई पत्नी हल्कू
- 4- हल्कू पुत्र श्री सुम्मा
- 5- जवाहर पुत्र श्री खिलान सिंह निवासीगण - रतन खेडी तहसील बासोदा जिला - बिदिशा (म.प्र.)

व्यक्ति नवल सिंह द्वारा
जज दि. 09-11-17 को

प्रस्तुत घर
क्लर्क ऑफ कोर्ट 9-11-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

चक्र 180 23-11-17

..... आवेदकगण
विरुद्ध

नवल सिंह पुत्र श्री ग्यारसी लाल अहिरवार
निवासी - रतनखेडी तहसील गंजबासोदा जिला - बिदिशा (म.प्र.)

.....अनावेदक

न्यायालय तहसीलदार तहसील बासोदा द्वारा प्रकरण क्रमांक 26/अ-70/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 28.08.2017 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :-

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, अनावेदक नवल सिंह द्वारा एक आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत कर उल्लेख किया कि ग्राम रतनखेडी



3

28/11/17
9/11/17
23-11-17
180

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2017/4357

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	<p>आवेदक की ओर से, अधिवक्ता श्री के.के. द्विवेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27-3-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p></p> <p style="text-align: right;"> प्रशासकीय सदस्य</p>	